न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 439/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– श्रीमती सुखो पत्नी जोगाराम 2– पीराराम पुत्र भाणाराम जाति मेगवाल निवासीगण देवातु तहसील बालेसर, जिला जोधपुर		1– श्रीमती पेपो पुत्री राणा पत्नी अखाराम मेगवंशी निवासी भालू कुमाणियां तहसील बालेसर, जिला जोधपुर प्रफोर्मा प्रत्यर्थीगण 2– जेठा पुत्र स्व0 गंगाजी 3– पेमा पुत्र स्व0 गंगाजी 4– मोहन पुत्र तगा जी 5– संतोषराम पुत्र तगाजी 6– भागचंद पुत्र तगाजी 7– टिपूदेवी पत्नी तगाजी 8– गोपाराम पुत्र तगाजी के का0मु0– 8.1–चेतनराम पुत्र स्व0 गोपाराम 8.2–प्रेमाराम पुत्र स्व0 गोपाराम 8.3–अमराराम पुत्र स्व0 गोपाराम 8.4–जालूराम पुत्र स्व0 गोपाराम 8.5–पन्नाराम पुत्र स्व0 गोपाराम 8.6–हेताराम पुत्र स्व0 गोपाराम 8.7–बबलूराम पुत्र स्व0 गोपाराम 8.8–सुभाषवीर सिह पुत्र स्व0 गोपाराम 8.9–राधादेवी पत्नी स्व0 गोपाराम 9– जोगाराम पुत्र भाणाराम के का0मु– 9.1–प्रेमाराम पुत्र जोगाराम 9.2–जेठाराम पुत्र जोगाराम 9.3–सुरजोदेवी पत्नी जोगाराम सभी जातियान मेगवंशी निवासीगण देवातु ,तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 6–2–2015 जो तहसीलदार बालेसर द्वारा मुकदमा नंबर 21/2014 अनवान पेपो देवी बनाम श्रीराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थिति–

1– श्री रोशनलाल विश्नाई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 25–1–2018

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम देवातु के नामांतरकरण संख्या 440 जो उप तहसीलदार बालेसर द्वारा दिनांक 27–1–1983 को स्वीकृत किया गया था, के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रथम, जोधपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिस पर पारित आदेश दिनांक 11–11–2014 के द्वारा उक्त नामांतरकरण संख्या 440 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को मृतक राणाराम पुत्र कुम्भाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान की जांच कर दोनो पक्षों की साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये । जिसकी पालना मे तहसीलदार बालेसर ने प्रकरण दर्ज कर बाद जांच एवं सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6–5–2015 के द्वारा रेस्पा0 संख्या 1 श्रीमती पेपोदीवी

का नाम राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर दिया, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने स्व0 राणाराम के विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही रेस्पो0 संख्या 1 के नाम नामांतरकरण स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिया जबकि स्व0 राणाराम के विधिक वारिसानो मे उनकी एक पुत्री चुन्नीदेवी भी थी जिनके वारिसानो को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आलौच्य आदेश पारित कर दिया जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकर्ड मे दर्ज खातेदारो को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आलौच्य आदेश पारित कर दिया जबकि खातेदारो को सुनवाई का अवसर दिये बिना उनका नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया नही जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व ही कुछ पक्षकार फोत हो चुके थे तथा उनके वारिसानो को पक्षकार बनाये बिना तथा उन्हे रेकर्ड पर लिये बिना ही जो कार्यवाही सम्पन्न की गई वह सम्पूर्ण कार्यवाही दुषित हो गई थी इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बालेसर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6–2–2015 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि ग्राम देवातु के नामांतरकरण संख्या 440 मे वर्णित भूमि के सहखातेदार राणा पुत्र कुम्भा कौम मेगवंशी के फोत होने उसे लाऔलाद बताते हुए शेष खातेदारो के नाम का उक्त म्युटेशन स्वीकृत कर दिया जबकि रेस्पो0 पेपो उसकी जायंदा पुत्री जीवित थी इसलिए उक्त म्युटेशन संख्या 440 के विरूद्ध प्रथम अपील अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर के समक्ष पेश की जाने पर उक्त अपील को स्वीकार करते हुए ग्राम देवातु के नामांतरकरण संख्या 440 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बालेसर को स्व0 राणाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसानो की जांच नियमानुसार कर नये सिरे से नामांतरकरण की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड किया । जिसकी पालना मे तहसीलदार बालेसर ने मृतक खातेदार राणा के रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती पेपो को प्रथम श्रेणी की वारिस होना मानते हुए उसके पक्ष मे नामांतरकरण दर्ज करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट ने अपर जिला कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय को अब तक चुनौती नही दी है जबकि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 440 को अपर जिला कलेक्टर जोधपुर के निर्णय से निरस्त कर दिया गया था उक्त आदेश से ही अपीलांट के हित

प्रभावित हुए थे । अपीलांट ने इस न्यायालय हाजा के समक्ष तहसीलदार बालेसर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील पेश की गई है जो कि अपर जिला कलेक्टर के आदेश की पालना मे पारित किया गया है, इस आधार पर भी अपीलांट की अपील खारीज योग्य है ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अपीलांट ने इस तथ्य से इंकार नही किया कि रेस्पो0 पेपो स्व0 राणा की पुत्री नही है ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बालेसर द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से.अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बालेसर ने अपीलाधीन निर्णय न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर के निर्णय दिनांक 11–11–2014 मे दिये गये निर्देशो की पालना मे मृतक राणाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान की सूचना प्राप्त कर मृतक के एक मात्र प्रथम श्रेणी की वारिस पेपोदेवी की होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसका नाम मृतक राणाराम के खातेदारी की भूमि का नामांतरकरण मृतक के स्थान पर उसकी पुत्री पेपोदवी का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है ।

जहां तक अपीलांट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर के न्यायालय की कार्यवाही के दौरान कुछ पक्षकारान का देहांत हो चुका था । इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर द्वारा पारित निर्णय मे रेस्पो0 संख्या 10 अनोपी पत्नी भाणाराम के नोटिस पर उसके फोत होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई परंतु रेस्पो0 संख्या 10 के कायम मुकाम पूर्व से ही पक्षकार होने से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे कोई विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बालेसर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6–2–2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25–1–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर